सीमा पर अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर

- बीकानेर में अमित शाह की हाईलेवल सुरक्षा बैठक
- राजस्थान बॉर्डर पर 360 डिग्री सुरक्षा प्लान तैयार

बीकानेर, 27 मई. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.बैठक में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई.

बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया.इस एकीकृत प्रयास में स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सीमा प्रबंधन को और अधिक विस्तृत एवं मजबूत बनाया जा सके.

बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर एवं फलोदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया.बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सीमा प्रबंधन को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए.

अंतरराष्ट्रीय सीमा के दायरे के अतिक्रमणों को करें जमींदोज

बैठक के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया .उन्होंने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का निर्देश दिया. शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार की मशीनरी के साथ समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया, ताकि घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके ।केन्द्रीय गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रैक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें . इसके अलावा, निर्देश दिया कि साइबर अपराधों के त्वरित निवारण के लिए ' 1930 ' कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग किया जाए .

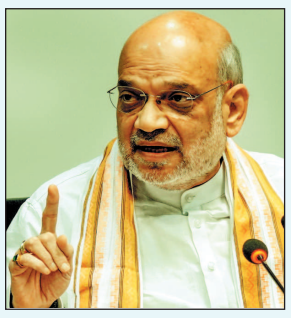

अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़

अमृतसर, 27 मई. पंजाब में अमृतसर आयुक्तालय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से संचालित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आठ अत्याधुनिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी वर्चुअल नंबरों के जरिए विदेश में बैठे एक तस्कर के संपर्क में थे. यह गिरोह ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप मंगवाता था, जिन्हें बाद में पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था. थाना छेहरटा, अमृतसर में प्राथमिकी दर्ज की. मामले की गहन जांच जारी है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों, सप्लाई नेटवर्क व आगे-पीछे के लिंक का पता लगाया जा सके.

भीषण गर्मी पर मोदी की विशेष अपील

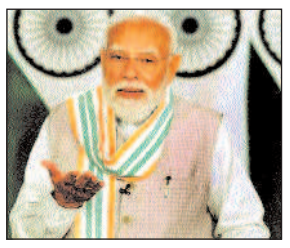

नई दिल्ली, 27 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रचंड गर्मी और लू के दौर को देखते हुए सभी देशवासियों से सावधानी बरतने और सभी मंत्रालयों से जनता को गर्मी और लू से बचाने के लिए हर संभव उपय करने का आह्वान किया है. श्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में सभी मंत्रियों का ध्यान देश में पड़ रही भीषण गर्मी की ओर दिलाया और उनसे लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए अपने अपने स्तर पर उपाय करने को कहा. सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ गर्मी और लू की स्थिति पर चर्चा की और उनसे मंत्रालय स्तर पर लोगों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाने को कहा. इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट में लोगों से लू और गर्मी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ध्यान रखने की अपील की.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा निविदा संख्या:M247GLRSSTORE 262710, दिनांक: 25.05.2026. कार्य का नाम: LRS स्टोर में प्राप्त सामग्री का अनलोडिंग, परिवहन तथा व्यवस्थित भंडारण 24 माह के लिए। **मु. का. प्र.** / दाहोद पश्चिम रेलवे कार्यालय। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु. 22,53,146/-. **बयाना राशि:** रु. 45,100/-. **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय:** ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय **17.06.2026 को 14:30 बजे तक** तथा ई-निविदा उसी दिन **15:00 बजे** खोली जायेगी। The Tender Notice and documents available on the website **www.ireps.gov.in** / E-Tenders / Works / IR Electrical.

SPAN/3/1/74

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

CHANGE OF NAME

I, **AKSHAT JAIN** S/o Shri **ABHISHEK JAIN**, Age- 07.01.2011, Sex-Male, Address- Flat No. 101, N R K Villas Manorama Ganj VTC: Indore, PO: Indore G.P.O. INDORE (M.P.)-452001. That a Passport number U3054334, Dated 18.02.2020 has been made in the name of me the affiant, in which my name **AKSHAT ABHISHEK JAIN,** father name **ABHISHEK BIMALKUMAR JAIN** and mother name **MEENAKSHI ABHISHEK JAIN** is wrong. My name is **"AKSHAT JAIN",** my father name **"ABHISHEK JAIN"** and my mother name **"MEENAKSHI JAIN",** which is true and correct. that I, the affiant, have to register my name as **AKSHAT JAIN,** father name as **ABHISHEK JAIN** and mother name as **MEENAKSHI JAIN,** in my passport.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	55855827	होम लोन	16-05-2026	2,17,655.62/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. बक्शू लाल चौधरी 2. मधुलाल चौधरी

संपत्ति का पता: ग्राम पंचायत संपत्ति कर रजिस्टर में क्रमांक 180 पर दर्ज आवासीय मकान संख्या 120 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, पट्टा के अनुसार मापः लंबाईः 56 फीट, चौड़ाईः 26 फीट, कुल क्षेत्रफल 1430 वर्ग फीट, यह आबादी सर्वेक्षण संख्या 304 का हिस्सा है, जो पीएच नं. 26, ग्रामः बनवाड़ा, वार्ड नंबर 06,पर स्थित है। तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457336, और (पट्टा के अनुसार सीमाएँ): पूर्वः नंदकिशोर व्यास, पश्चिमः सामान्य सड़क, उत्तरः दशरथ, दक्षिणः बक्शूलाल

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 28.05.2026 — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

स्थान: मध्यप्रदेश

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक / 275/ज.प्र./2026 — रतलाम, दिनाक 21/05/2026

:: ई - निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑन लाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	509605	Laying, Jointing and Interconnection Water Harvesting Recharge System of many wards of Ratlam as per Estimate (प्रथम आमंत्रण)	1- 90 Days 2- 84,96,000/-	1- 10,000/- 2- 84,960/-	1-06/06/2026 17:30

नोट :- निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेब साईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा ।

कार्यपालन यंत्री
जलप्रदाय
नगर पालिक निगम, रतलाम

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय: 380, साकेत नगर, द्वितीय मंजिल, इंदौर-452018, फोन : 0731-2438305

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

यूको बैंक, सुपर कोरिडोर शाखा, इन्दौर के माध्यम से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी, जो कि वापस आ गई। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

शाखा का नाम	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि	संपत्ति का विवरण
सुपर कोरिडोर शाखा, इन्दौर	**श्री हेमंत विश्वकर्ता,** फ्लेट नं. 27, ईडब्ल्यूएस एरिया, शंखेश्वर सिटी, इन्दौर (म.प्र.) 453555	22.04.2026 **6,06,638.28** 28.02.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्चे	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. जी-27, तल मंजिल, ईडब्ल्यूएस एरिया, शंखेश्वर सिटी, ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453555 पर स्थित संपत्ति, **क्षेत्रफल: 263 वर्गफीट, मालिक: श्री हेमंत विश्वकर्मा,** पंजीकृत विलेख क्रमांक MP179092024A1446497 दिनांक 08.04.2024 द्वारा उप पंजीयक इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.) में पंजीकृत है, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. जी-25 एवं जी-26, **दक्षिण:** खुला क्षेत्र, **पूर्व:** खुला क्षेत्र, **पश्चिम:** फ्लेट नं. जी-28

अत: आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि **(1)** उक्त मांग सूचना पत्र/लिफाफा जो कि आप को डाक प्राधिकरण द्वारा **यूको बैंक, सुपर कोरिडोर शाखा, इन्दौर** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर लें ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये एवं **(2)** मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित आज दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि **सरफेसी अधिनियम** के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 28.05.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक-109)

क्रमांक / 717 / अकरी - 4 / 2026 — प्रकरण क्रमांक / /ब-121/2026-27 — इन्दौर दिनांक 21/05/26

प्रति,

विज्ञप्ति प्रकाशन

1. सचिन छपरवाल
2. मेहा छपरवाल

पता: 1 फ्लेट नं 206 बालाजी रीजेंसी ब्लाक- बी, एस, नं 515 / 1/2 गाँव सिरपुर इंदौर 452012

पता - 2 : 1375- बी स्कीम नं 71 सुदामा नगर इंदौर म.प्र.

पता - 3 श्री माहेश्वरी ट्रेडर्स 19-20 पोद्दार, वि आई पी रुठ नं 1, न्यू सियागंज इंदौर म.प्र. 452003

द्वारा:- तहसील / सांवेर, राज/ पंजीकृत डाक / समाचार, विज्ञप्ति

--00--

प्राथी प्राधिकृत अधिकारी एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति फ्लेट नं 206 बालाजी रीजेंसी ब्लाक - बी, एस, नं 515 / 1/2 गाँव सिरपुर इंदौर 452001 पर बकाया ऋण राशि **रु 6,19,827+/-.** + ब्याज व अन्य खर्चे का चुकारा आपके द्वारा नही किया गया। ओर न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौपा गया है । अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एव पुर्नगठन ओर प्रतिभूतहित प्रवतन अधिनियम कि धारा 14 मे प्रतिभूति के रूप मे रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध मे एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले कि सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर (कक्ष क्रमांक - 109 मे दिनांक 22-06-2026 को दोपहर 02:00 बजे होगी।) आप प्रकरण के संबंध मे समस्त दस्तावेज़ व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे । आपकी अनुपस्थिति कि दशा मे प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर (म.प्र). जिला इंदौर

AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED (AMBIT Finvest — Pragati ke partner)

कॉर्पोरेट कार्या.: कनकिया वॉल स्ट्रीट, पांचवीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत नियम 3 के साथ पढ़े जाने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

ऋण लेने वाले का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. भरतकुमार माली 2. मधुबाला माली लैन नंबर MSD000001018471	14-05-2026. रु. 35,30,234/- (पैंतीस लाख तीस हजार दो सौ चौंतीस मात्र) दिनांक: 08-05-2026 तक

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण: मकान संख्या 594, खसरा संख्या 2029, क्षेत्रफल 816 वर्ग फुट या 75.83 वर्ग मीटर, अन्नपूर्णा चौक, सेठिया मोहल्ला, पटवारी हल्का संख्या 01, ग्राम नाहरगढ़, ग्राम पंचायत नाहरगढ़, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। सीमाएँ निम्नानुसार हैं:- पूर्व- मोहनलाल सोनी का मकान, पश्चिम- चंदमल जैन का मकान, उत्तर- पोरवाल समाज पंचायत के पास, दक्षिण- सार्वजनिक सड़क।

ऋण लेने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान प्राप्ति की तिथि तक के खर्चों सहित करें। ऋण लेने वाले व्यक्ति ध्यान दें कि AFPL एक सुरक्षित ऋणदाता है और ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो AFPL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। AFPL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य AMPL को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो AFPL को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत AFPL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को AFPL की पूर्व लिखित सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित कोई भी लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (सामान्य व्यवसाय के अलावा) किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 28.05.2025 — हस्ताक्षर/- अंकेत मोरे,

स्थान: मध्य प्रदेश — अधिकृत अधिकारी, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India (भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking)

क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल सेन्ट्रल, प्रथल तल, 1513/1/1, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) rh.bhopal@unionbankofindia.com

संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित ऋणियों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **14 जुलाई 2026** को बेचा जाएगा।

शाखा का नाम / ऋणी का नाम	ऋणी की संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मक्सी शाखा, मक्सी			
ऋणी- **श्री नीरज मीना पुत्र दिनेश मीना** मकान नं. 43/5, वार्ड नं. 06, ए.बी. रोड, पूर्वी बाग, मक्सी, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) 465106	**संपत्ति का समस्त भू भाग रिहायशी मकान क्षेत्रफल- 840 वर्गफिट स्थित सर्वे नं. 898/8, वार्ड नं. 04, सुभाष चंद्र वार्ड, पोस्ट उकला रोड, जगन्नाथ पुरी मेन रोड, मक्सी तहसील और जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 465106 के अंतर्गत, संपत्ति मालिक:** श्री नीरज मीना पुत्र दिनेश मीना, चर्तुसीमाएँ: उत्तर में - बने सिंह का मकान, दक्षिण में - सोहन लाल का मकान, पूर्व में - 20 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़क, पश्चिम में - श्री सावे सिंह की भूमि। **Property ID - UBINBHOBHC3226**	₹ **15,30,000/-** आरक्षित मूल्य का 10% **सांकेतिक कब्जा**	₹ **14,03,202.68** (मांग सूचना दि. 21.07.2025के अनुसार) + ब्याज एवं खर्चे

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 14-07-2026, दोपहर 12.00 से सायं 5.00 बजे तक (10 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

विक्रय के निबंधन और शर्तो के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट देखें।

https://www.unionbankofindia.bank.in/auction-property/viewauction-property.aspx & https://baanknet.com

पंजीयन, लॉगइन एवं नीलामी के नियम हेतु अवलोकन करें- https://baanknet.com

तारीख : 27.05.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान: भोपाल — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TATA)

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा गया।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी को एकवचन या सामूहिक रूप से "देनदार" कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक A.D. द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त देनदार/देनदारों के कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को उनके नाम के आगे उल्लिखित राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (D) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे दिए गए ब्याज का भी भुगतान करें, जैसा कि ऋण समझौते और उक्त देनदार/देनदारों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के अनुसार देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त देनदार/देनदारों द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं।

ऋण खाता संख्या	ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि का नाम	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एनपीए की तिथि
TCHHL02840 00100319795 & TCHIN02840 00100320957	श्री नितिन वर्मा (ऋणकर्ता) श्रीमती मोनिका वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	रु. 21,61,707/- और रु. 74,563/-	19.05.2026 और 04.05.2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण: गंगा पार्क के प्लॉट संख्या 115 का वह पूरा हिस्सा, जो पीएच संख्या 39, वार्ड संख्या 42, सरल संख्या 720, देवास सीनियर, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 92.96 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) है। सीमाएँ: पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - प्लॉट संख्या 156, उत्तर - प्लॉट संख्या 114, दक्षिण - प्लॉट संख्या 116

9954549 & TCHIN05590 00100089459 & TCHIN 0559000100175224 & TCHIN0559000100280761	श्री प्रदीप चौर्स (ऋणकर्ता) श्रीमती पूजा चौर्स (सह-ऋणकर्ता)	रु. 3,17,658/- और रु. 2,08,676/- और रू. 2,80,593/- और रू. 3,62,969/-	20-05-2026 और 04.05.2026

गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के महू गांव